

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1982/चैत्र 10, 1904
No. 15] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1982/CHAITRA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1982

आ.अ. 27(अ).—सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी तारीख 29 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना सं. 434/म.प्र./79 (2) द्वारा नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के 26-जबलपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की, उसकी कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सरकार के निम्नलिखित प्रत्येक आफिसर को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

“1. बन्वोबस्त अधिकारी,
जबलपुर।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर ।
3. सहायक परियोजना अधिकारी
जबलपुर ।''

[सं. 434/म.प्र/82 (2)]

आदेश से,
के. गणेशन, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1982

O.N. 27(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, in addition to the Officers appointed by its notification No. 434/MP/79(2), dated 29th October, 1979, each of the following officers of the government as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of 25-Jabalpur Parliamentary Constituency, in the State of Madhya Pradesh, in the performance of his functions :—

- "1. Settlement Officer, Jabalpur.
2. Chief Executive Officer, Jabalpur.
3. Assistant Project Officer, Jabalpur."

[No. 434/MP/82(2)]

By order,

K. GANESAN, Secy.
Commission of India